न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 326/20 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00331)

1. रामवीर पुत्र लोटन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. मानसिंह पुत्र लोटनसिंह (मृतक)
   2/1 श्रीमती हरदेई पत्नी मानसिंह
   2/2 दीपक सिंह पुत्र मानसिंह
   2/3 कुन्ती पुत्री मानसिंह
   } जाति जाट निवासी सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लालाराम पुत्र श्री डालचन्द जाट निवासी सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

3. भूपसिंह पुत्र बाबू
4. पदमसिंह पुत्र बाबू
5. विधादेवी पत्नी पुरूषोत्तम
6. बच्चूसिंह पुत्र पुरूषोत्तम
7. रमेश पुत्र पुरूषोत्तम

} जातियान जाट निवासी ग्राम सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना मु0नं0 21/11 रामस्वरूप बनाम सरकार दिनांक 4.9.2018 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री दिनेश शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 05.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 18.11.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट लालाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि हाल खसरा नम्बर 2223/0.15 वाकै ग्राम सांतरूक प्रथम तहसील कुम्हेर में स्थित है। जिसका रैस्पो0 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष 1/2 हिस्सा के तरतीवी अप्रार्थीगण यानि रैस्पो0 3 लगायत 7 व लोटन (अपीलान्ट संख्या 1 व 2

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

के पिता व बाबा) रिकार्डेड खातेदार हैं। उक्त खसरा नम्बर 2223 साविक खसरा नम्बर 1793 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा से बना है जो कि साविक के मुकाबले 18 ऐयर रकबा कम बना है। प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट लालाराम की खातेदारी के पास ही हाल खसरा नम्बर 2236/0.40 है0 स्थित है जो साबिक खसरा नमबर 2662/12 विस्वा व 2666/17 विस्वा से बना है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2236 साविक के मुकाबले में 16 ऐयर रकबा अधिक बना है जबकि प्रार्थी रैस्पोडेन्ट का रकबा 18 ऐयर कम है बन्दोवस्त विभाग को किसी की खातेदारी को कम या अधिक करने का अधिकार नहीं था। इसलिए तरतीवी अप्रार्थीगण उक्त कम हुये रकबे की पूर्ति बढे हुये रकबे से कराने के अधिकारी हैं। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2020 के अंतर्गत आदेश दिये कि हाल खसरा नम्बर 2043/1.76 से 0.18 है0 रकबा कम कर 2223/0.15 है0 में 0.18 है0 रकबा जोडकर 2223 का रकबा 0.33 है0 किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में लिखित बहस पेश करते हुए मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया और न ही कोई सुनवाई का अवसर ही दिया। केवल रैस्पोडेन्ट को एकतरफा सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अदालत मातहत द्वारा 136 एलआर एक्ट के प्रार्थना पत्र में लोटन सिंह का नाम किस आदेश से जोड़ा गया है, इस संबंध में न तो अदालत मातहत की निर्णय संबंधी पत्रावली में उल्लेख है और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत हुआ। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत 136 एलआर एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट के पिता लोटन सिंह को पक्षकार नहीं बनाया था। अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 21.02.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इसके बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 पारित किए जाने की दिनांक तक किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के पिता लोटन सिंह को पक्षकार बनाए जाने हेतु पेश नहीं किया गया और न ही अपीलान्ट की ओर से ही सी.पी.सी के आदेश 1 नियम 10 के तहत अदालत मातहत में कोई प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाए जाने हेतु पेश किया गया। अदालत मातहत की ओर से भी लोटन सिंह को पक्षकार बनाए जाने का कोई आदेश पत्रावली में नहीं दिया गया। इसके बाबजूद अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत संशोधित शीर्षक के आधार पर लोटन सिंह को नोटिस जारी किया गया तथा तामील कुनिन्दा की ओर से प्रस्तुत गलत रिपोर्ट जिसमें दो गवाह की उपस्थिति में नोटिस चस्पा किए जाने का उल्लेख किया गया

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है, को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। लोटन सिंह को अदालत मातहत की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था उसमें तामील कुनिन्दा की ओर से यह रिपोर्ट की गई कि श्री लोटन पुत्र जहारिया घर पर नहीं मिला। एक प्रति उनके खुले मकान पर चस्पा की गई तथा मौके पर मिले दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर गलत तामील रिपोर्ट पेश की गई। जबकि लोटन सिंह की मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो चुकी है। लेकिन रैस्पोडेन्ट द्वारा तामील कुनिन्दा से मिल्लत कर उक्त तामील रिपोर्ट पेश करवाई गई। तामील कुनिन्दा की ओर से गलत तामील करवाने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने लोटन सिंह को दिनांक 10.11.2020 के लिए नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी किए थे। इस नोटिस की पुश्त पर अंकित है कि लोटन सिंह घर पर नहीं मिला एवं एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा की गई और दो गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए। तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस तामील कराए जाने की न तो दिनांक ही अंकित की गई और न ही दो गवाहों के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित है। जबकि अपीलान्ट के पिता लोटन सिंह का लगभग 12 वर्ष पूर्व दिनांक 02.03.2008 को ही निधन हो चुका था। कानूनन प्रथम बार चस्पांदगी से तामील नहीं कराई जा सकती। जब तक कि न्यायालय का आदेश न हो। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.बी.जे (14) 2007 पेज 141–142 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के पिता जिनकी मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो चुकी थी तथा रैस्पोडेन्ट को उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने के बाबजूद भी अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाकर मृतक पिता लोटन सिंह को पक्षकार बनाकर अदालत हाजा से अपीलाधीन निर्णय बाला–बाला पारित करवा लिया जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस कारण अपीलाधीन अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए होने के कारण निरस्तनीय है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2021 (2) आर.आर.टी पेज 1026 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया, जिसमें मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित निर्णय को अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए माना गया है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 आपराधिक स्वभाव का व्यक्ति है, जिसने मृतक लोटनसिंह की तामील भी तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तरीके से कराते हुये अपने हितधारी व्यक्तियों को गवाह बनाकर चस्पांदगी से कराते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। इस संबंध में अपीलान्टस द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रचने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना उधोग नगर भरतपुर में दर्ज कराई गई है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रैस्पोडेन्ट लालाराम ने विवादित आराजी के संबध में नियमित घोषणात्मक दावा न्यायालय तहत में ही पूर्व से ही दायर किया हुआ है जो कि विचाराधीन है। इस दावे में अपीलान्टान को पक्षकार बनाया हुआ है जिसमें अपीलान्टस पैरवी कर रहे हैं। किसी भी पक्ष के हक–हकूक नियमित वाद में ही तय हो सकते हैं, परन्तु रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये विचाराधीन दावा के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दौरान ही अपीलान्टान को पक्षकार ना बनाकर उनके मृतक पिता को पक्षकार बनाकर आलौच्य आदेश अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में करवा लिया है जबकि धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही सूक्ष्म कार्यवाही की तारीफ में आती है जिसमें पक्षकारान के अधिकार निर्णित नहीं हो सकते हैं। विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। फिर भी न्यायालय तहत ने सूक्ष्म कार्यवाही कर आदेश जेरे अपील पारित कर दिया है जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तीनय है। तहत अदालत ने आलौच्य आदेश इस आधार पर पारित कर दिया है कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में रैस्पोडेन्ट के हक में अनुशंसा की है। मगर न्यायालय तहत ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि रैस्पोडेन्ट अपने रकबे की पूर्ति खसरा नंबर 2236 रकबा 0.40 है0 से कराना चाहता था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट खसरा नंबर 2047 रकबा 1.76 है. से कराए जाने की प्राप्त हुई थी, जो अपीलान्ट के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इस आधार पर अपीलान्ट के पिता लोटन सिंह जिनकी मृत्यु 2008 में हो चुकी थी, को नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार अदालत मातहत ने साविक नक्शा व हाल नक्शा एवं हाल विवादित खसरा नम्बर 2223 व 2043 की लोकेशन पर गौर नहीं किया, क्योंकि हाल आराजी खसरा नम्बर 2223 व 2043 के बीच करीब एक किलोमीटर की दूरी का अन्तर है। रैस्पोडेन्ट के खसरा नंबर की पूर्ति उसके आसपास से ही संभव हो सकती थी, क्योंकि स्वयं रैस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 2236 से उक्त पूर्ति कराए जाने का उल्लेख किया था। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि एक–दूसरे से दूरी पर होने के कारण खसरा नंबर 2043 से पूर्ति नहीं की जा सकती थी। तहत अदालत ने पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 का भी भलीभांति अवलोकन नहीं किया क्योंकि उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में उल्लेख है कि हाल खसरा नंबर 2223 रकबा 0.15 राजस्व रिकार्ड में विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसमें लालाराम का हिस्सा रहन है तथा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से स्थगन है। इससे स्पष्ट था कि विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन था। इसके बाबजूद अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का परीक्षण किए बिना केवल मात्र रकबा पूर्ति के संबंध में की गई अभिशंषा को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि विधिविरूद्ध है। रैस्पोडेन्ट की खातेदारी का कोई रकबा अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ। बल्कि अपीलान्ट की खातेदारी में लगभग 50 बीघा रकबा दर्ज है। इस रकबे की पूर्ति ही भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई है। इसके बाबजूद पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत की गई एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 को पारित किया है जो कि नियम विरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 81 व सहपठित धारा 151 अन्तर्गत सी.पी.सी के तहत रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2020

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को उपरोक्त समस्त तथ्यों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया था। जिसके क्रम में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार कुम्हेर को पत्र दिनांक 27.11.2020 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 की पालना स्थगित किए जाने हेतु लिखा गया था, जो कि अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न है। इससे भी स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अनियमितता होने को स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में अदालत मातहत ने तहसीलदार कुम्हेर से पत्र दिनांक 21.02.2019 के द्वारा रिपोर्ट चाही गई। जिसके पालना में तहसीलदार कुम्हेर ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2019 के साथ पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार रारह की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट को संलग्न कर प्रेषित किया। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.15 हैक्टेयर साविक खसरा नंबर 1793 रकबा 2 बीघा दो विस्वा से बना है जो कि गत के मुकाबले 0.18 हैक्टेयर रकबा कम है। आराजी खसरा नंबर 2043 रकबा 1.76 है0 जो साविक खसरा नंबर 1331 रकबा 14 बिस्वा 1332 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व 1333 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा से बना है जो गत रकबा से 0.76 हैक्टेयर अधिक है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल खसरा नंबर 2043 रकबा 1.76 है0 से 0.18 है0 रकबा कम कर हाल खसरा नंबर 2223 रकबा 0.15 में जोड़कर खसरा नंबर 2223 रकबा 0.33 है0 हो जाता है व रकबे की पूर्ति हो जाती है। हाल खसरा नंबर 2223 मौके पर 0.33 है0 का है। जिसमें तरमीम की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि रैस्पोडेन्ट के कम रकबे की पूर्ति हाल खसरा नंबर 2043 जिसमें साविक खसरा नंबर से अधिक का रकबा आया है, से किए जाने पर रकबे की पूर्ति हो जाती है। तहसीलदार के माध्यम से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अदालत मातहत ने विवादित खसरा नंबर 2043 के रिकार्डेड खातेदार लोटन सिंह को हितवद्ध पक्षकार मानकर न्यायहित में नोटिस जारी किऐ हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अपीलान्ट के पिता लोटन सिंह की मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो गई थी तो वर्ष 2008 से 2020 तक राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टस ने वारिसान के रूप में विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया। इस संबंध में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हुए राजस्व रिकार्ड में

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज खातेदार को विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की विधिवत तामील उपरान्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 को पारित किया गया है। जहां तक तामील कुनिन्दा के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही किए जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही किए जाने का कोई रिकार्ड न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में पेश किया गया है। अदालत मातहत द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके खातेदारी में साविक रकबे से अधिक रकबा किस आधार पर दर्ज हुआ है। केवल मात्र वकील अपीलान्ट ने बहस में यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट की खातेदारी में लगभग 50 बीघा भूमि है जिसमें अन्य खसरा नंबरान की भूमि भी शामिल है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी का रकबा ही कम किया गया है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि अपीलान्ट की खातेदारी में कौन–कौन से साविक खसरा नंबर व कितना–कितना रकबा दर्ज था तथा इनके नए नंबर व रकबा क्या हैं। इसलिए वकील अपीलान्ट का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रकबे के अनुसार उसका रकबा पूर्ण है। दूसरी ओर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 की बिन्दु संख्या 3 में अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रकबे में बढ़ोतरी होने तथा बिन्दु संख्या 5 में हाल खसरा नंबर 2223 मौके पर 0.33 है0 का होने के कारण तरमीम की कोई आवश्यकता नहीं होना बताया है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान की गई त्रुटि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। इस आधार पर ही अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट ने मृतक खातेदार के विरूद्ध आदेश पारित किए जा सकने के संबंध में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बताया। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट एक ही गांव के व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में रैस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के पिता जिनकी मृत्यु वर्ष 2008 में हो गई थी, के बारे में जानकारी नहीं होने तथा पक्षकार नहीं बनाए जाने के बारे में कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया है। इसके अलावा सी.पी.सी के आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र के बिना पक्षकार बनाए जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा नहीं दिया गया। जहां तक भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में गलतियों का शुद्धिकरण किए जाने का प्रश्न है तो इसके परन्तुक में यह प्रावधान किया हुआ है कि किसी भी गलती को तब तक शुद्धिकरण नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस नहीं दिया गया हो। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट जो कि मृतक खातेदार लोटन सिंह के विधिक वारिसान हैं, को अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा लोटन सिंह जिनकी मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो गई थी, की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

चस्पादगी से तामील मानते हुए मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रेषित किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों काा अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उनकी खातेदारी में दर्ज साविक खसरा नंबर 1793 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 2223 रकबा 15 बिस्वा में गत के मुकाबले 18 एयर रकबा कम होने के कारण रैस्पोडेन्ट की खातेदारी के पास स्थित खसरा नंबर 2236 रकबा 40 हैक्टेयर जो साविक खसरा नंबर 2662 रकबा 12 बिस्वा व 2666 रकबा 17 बिस्वा से बना है, जो साविक के मुकाबले 16 एयर अधिक है। इसलिए तरतीवी अप्रार्थीगण के बढे हुए रकबे से प्रार्थीगण के रकबे की पूर्ति की जावे। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा तहसीलदार कुम्हेर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पत्र दिनांक 28.03.2019 के द्वारा पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार रारह की रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रेषित की। उक्त रिपोर्ट में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं कर खसरा नंबर 2043 रकबा 1.76 जो लोटन सिंह की खातेदारी में दर्ज था, में से रकबे की पूर्ति किए जाने का उल्लेख किया गया। अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंध मूल पत्रावली में न तो खसरा नंबर 2043 के खातेदार को पक्षकार बनाए जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश का उल्लेख है और न ही रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त खसरा नंबर के खातेदार को पक्षकार बनाए जाने का कोई आवेदन ही किया गया। वरन् रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत तरमीम शीर्षक जिसमें लोटन पुत्र जहारिया को पक्षकार बनाकर पेश किया गया है, के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 को पारित किया गया है। उक्त तरमीम शीर्षक पेश करने के संबंध में न तो अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली की आदेशिका में ही कोई उल्लेख है और न ही तरमीमी शीर्षक पेश किए जाने के दिनांक का ही उल्लेख है। तरमीमी शीर्षक पर भी पीठासीन अधिकारी की कोई मार्किंग नहीं है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत लोटन सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2008 के अनुसार लोटन सिंह की मृत्यु दिनांक 12.03.2008 को होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा लोटन सिंह के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2020 को पारित किया गया है जो कि वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2021 (2) आर.आर.टी पेज 1026–1027 पर वर्णित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त की मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया आदेश अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए है, के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

परिप्रेक्ष्य में विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में केवल यह उल्लेख किया गया है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तरतीबी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा इस रिपोर्ट के आधार पर तरमीमी शीर्षक पेश किया गया, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर जिन के संबंध में दादरसी चाही गई थी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। वरन् तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। विवादित भूमि के खातेदार लोटन सिंह जिनकी मृत्यु वर्ष 2008 में हुई है, को भी चस्पांदगी से नोटिस की तामील करवाई गई, जो कि वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2004 आर.बी.जे पेज 141–142 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित रिपोर्ट जिसमें रैस्पोडेन्ट का हिस्सा रहन होने तथा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से स्थगन होने का उल्लेख किया गया था, के संबंध में भी अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया। वकील अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में रिब्यू प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेज के अनुसार रैस्पोडेन्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत दावा पेश किया हुआ है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से जवाब दावा भी पेश किया हुआ है, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से उपरोक्त तथ्य अदालत मातहत की जानकारी में नहीं लाए गए। इससे स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में स्वच्छ मन से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बाबजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय बिना किसी परीक्षण के पारित किया है, जो कि उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक लोटन सिंह के वारिसान को विधिवत पक्षकान बनाए जाने, उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा अपीलान्ट की ओर से रिब्यू संबंधी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजात का विधिवत परीक्षण करने तथा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में चाहे गए अनुतोष के संबंध में पुनः विस्तृत व स्पीकिंग निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर